न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

दा0 खा0 अपील वाद सं0– 44/2020-21

1. बन्धु गौंझू पति गणेश गौंझू
2. राजेश साहू पिता वासुदेव साहू – अपीलकर्त्ता

ग्राम– गनालोया, थाना–मुरहू, जिला–खूँटी।

बनाम्

अंचल अधिकारी, खूँटी। – **विपक्षी**

<table>
<tr><th>आदेश का क्रम सं0 एवं तारीख</th><th>आदेश</th><th>की गई कार्रवाई</th></tr>
<tr><td>12.11.20</td><td>
अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।
आवेदक ने वर्त्तमान वाद दा0 खा0 वाद सं0–1211R27/19-20 में अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.05.20 के विरूद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित हैः–
<table>
<tr><th>मौजा</th><th>थाना/थाना नं0</th><th>खाता नं0</th><th>प्लॉट नं0</th><th>रकबा(एकड़ में)</th></tr>
<tr><td>खूँटी टोली</td><td>खूँटी 80</td><td>84</td><td>208</td><td>1.89</td></tr>
</table>
अपीलकर्ता के अपील आवेदन एवं अंचल अधिकारी, खूँटी के आदेश की अभिप्रमाणित प्रति को देखा आवेदक द्वारा विलम्ब से वाद दायर करने संबंधी U/S 5 of the Limitation Act के तहत आवेदन दाखिल किया गया। अपील संस्थित करने वो सुनवाई का प्रर्याप्त आधार पाते हुये उक्त दा0 खा0 अपील वाद को अंगीकार किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि मौजा–खूँटी टोली, थाना–खूँटी के उक्त भूमि जिसकी कुल रकबा 1.89 एकड़ है जिसे श्री महादेव साहू पिता भगवान साहू वो किस्टो साहू पिता गंगाधर साहू ग्राम–खूँटी, थाना–खूँटी, विक्रय पट्टा सं0 3129 दिनांक 09.07.1939 से क्रय की गयी है। वर्णित जमीन रिविजनल सर्वे आर0एस0 खतियान में महादेव साहू वल्द भगवान साहु वो किस्टो साहू वल्द जगलाल साहू के नाम दर्ज है।
अंचल अधिकारी, खूँटी के प्रतिवेदन अनुसार विक्रेता आवेदित भूमि का दखल संबंधी जांच की प्रक्रिया चलने के कारण नामांतरण अस्वीकृत की है।
अधिवक्ता ने बहस के दौरान बताया की अंचल अधिकारी द्वारा दखल संबंधी बिना जांच किये ही दखल संबंधी जांच की प्रक्रिया चल रही है बताकर दाखिल खारिज अस्वीकृत कर दिया गया है जो न्यायसंगत नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी को दाखिल खारिज संबंधी जांचोपरांत निर्णय लेना चाहिये था। अंत में अधिवक्ता द्वारा दाखिल खारिज स्वीकृत करने हेतु अनुरोध करते है।
अधिवक्ता के बहस को सूना एवं दाखिल किये गये कागजातों का अवलोकन करने के पश्चात् अंचल अधिकारी, खूँटी को Remand करते हुए निर्देश दिया जाता है कि आवेदित भूमि का दखल संबंधी स्वंय स्थल जांच करते हुए नामांतरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करे।
लेखापित एवं संषोधित
(हस्ताक्षर) 12/11/20
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।
(हस्ताक्षर) 12/11/20
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।
</td><td></td></tr>
</table>